FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ

प्रार्थना पत्र सं. 18....../2021 अन्तर्गत धारा **212 RT ACt**

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सूरजगढ **बनाम मातुराम**

आदेश दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.08.21	यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार सूरजगढ (पैरोकार सरकार) द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार सूरजगढ ने अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुने जाने का निवेदन किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार सूरजगढ को एक पक्षीय सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके **ग्राम ढाणी डालमियां** स्थित हाल खसरा नम्बर 293 रकबा 0.96 है. भूमि में **बेचान, रहन, दान या किसी भी पंजीकृत दस्तावेज** नही करे तथा **मौके** एवं **रिकार्ड** की यथास्थिति बनाये रखे। आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करे। न्यायालय आवेदनकर्ता से यह अपेक्षा करता है कि वह विपरित पक्षकार को आदेश की प्रति सुपुर्दगी स्पीड पोस्ट (SPEED POST) द्वारा करें, तथा व्यादेश के आवेदन की प्रति के साथ प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र, वाद पत्र, व दस्तावेज जिन पर आवेदक भरोसा करता है इनकी प्रति भी भेजे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनाक 13.09.2021 को पेश हो। 27/8/21 उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
11-7-22	आज यह पत्रावली मूल दावा में मिसल तलबी की रिपोर्ट पेश होने पर दावा के साथ पेश हुई। मूल वाद खारिज हो चुका है इसलिए इस प्रार्थना पत्र को अब आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली संबंधित मुतफर्रिक नम्बर से कम होकर बाद तकमील कार्यवाही दावा के शामिल रहे। उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़	